भाग - II

अध्याय - IV

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों
(विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)
की कार्यपद्धति

भाग II

अध्याय IV

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कार्यपद्धति

परिचय

4.1 31 मार्च 2018 तक राज्य में 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम थे जोकि विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से सम्बंधित थे। राज्य के ये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 1967-68 तथा 2017-18 की अवधि के दौरान सम्मिलित किए गए थे तथा इनमें 19 सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों, अर्थात् हिमाचल प्रदेश वित्त निगम एवं हिमाचल पथ परिवहन निगम को शामिल किया गया था। 19 सरकारी कम्पनियों में दो[1] कम्पनियां निष्क्रिय थी। वर्ष 2017-18 के दौरान एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम[2] को सम्मिलित किया गया था।

राज्य सरकार राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समय-समय पर इक्विटी, ऋण तथा अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से राज्य के मात्र 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार ने निधियों का निवेश किया तथा तीन सरकारी कम्पनियों में किसी प्रकार का धन नहीं लगाया।

राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान

4.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर का अनुपात राज्य की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की गतिविधियों की सीमा को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर तथा मार्च 2018 को समाप्त पांच वर्ष की अवधि हेतु हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ब्यौरा प्रदान करती है:

तालिका 4.1: हिमाचल प्रदेश सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
टर्नओवर	2,122.23	2,305.90	2,471.95	2,743.10	2,821.02
हिमाचल प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	85,841	95,587	1,10,511	1,24,570	1,35,914
हिमाचल प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद से टर्नओवर का *प्रतिशत*	2.47	2.41	2.24	2.20	2.08

स्त्रोत: कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के टर्नओवर आंकड़ों तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों के आधार पर संकलित।

विगत वर्ष की तुलना में इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। 2013-18 की अवधि के दौरान टर्नओवर की वृद्धि 3.04 *प्रतिशत* तथा 10.97 *प्रतिशत* के मध्य रही जबकि इसी अवधि के दौरान राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि 9.11 *प्रतिशत* व 15.61 *प्रतिशत* के मध्य रही। पिछले पांच वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद का चक्रवृद्धि वार्षिक विकास 12.17 *प्रतिशत* था। चक्रवृद्धि वार्षिक विकास विभिन्न समयावधियों पर विकास दर मापने के लिए उपयोगी पद्धति है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की 12.17 *प्रतिशत* के चक्रवृद्धि वार्षिक विकास के प्रति विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त उपक्रमों के टर्नओवर में विगत पांच वर्षों के दौरान 7.43 *प्रतिशत* न्यून चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर्ज किया गया। इसके फलस्वरूप सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के टर्नओवर में 2013-14 में 2.47 *प्रतिशत* से 2017-18 में 2.08 *प्रतिशत* की मामूली गिरावट हुई।

---

1 एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड व हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड जिन्होंने अपने प्रचालन बंद कर दिया।

2 धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में निवेश

4.3 कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम निश्चित ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए, जिन्हें निजी क्षेत्र विभिन्न कारणों से देने के लिए तैयार नहीं होते, राज्य सरकार के उपकरण के रूप में काम करते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कुछ व्यवसायिक क्षेत्रों में भी निवेश किया है जो निजी क्षेत्र के उपक्रमों के साथ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण में काम करते हैं। अत: राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति का विश्लेषण पांच प्रमुख वर्गीकरणों अर्थात् कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, अवसंरचना क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र तथा जो सेवा क्षेत्र में कार्य कर रहे है; के तहत किया गया है। 31 मार्च 2018 तक राज्य के इन 21 सार्वजनिक उपक्रमों में इक्विटी और दीर्घावधि ऋण के रूप में किए गए निवेश का विवरण ***परिशिष्ट 4.1*** में दर्शाया गया है:-

4.4 31 मार्च 2018 तक राज्य के इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश का क्षेत्रवार सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका 4.2: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में क्षेत्रवार निवेश (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)

क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	निवेश (₹ करोड़ में)				
		इक्विटी		दीर्घावधि ऋण		कुल
		हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य	हिमाचल प्रदेश सरकार	अन्य	
कृषि एवं संबद्ध	4	76.55	10.50	116.85	1.43	205.33
वित्तीय	4	127.96	6.69	94.62	37.83	267.10
अवसंरचना	3	55.82	0	0	0	55.82
विनिर्माण	2	7.04	1.04	2.97	0	11.05
सेवा	8	734.01	15.46	0.95	202.26	952.68
योग	**21**	**1,001.38**	**33.69**	**215.39**	**241.52**	**1,491.98**

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

31 मार्च 2018 तक इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹1,491.98 करोड़ का कुल निवेश (इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋण) था। दीर्घावधि ऋण में 30.62 *प्रतिशत* तथा इक्विटी में 69.38 *प्रतिशत* निवेश हुआ। कुल दीर्घावधि ऋणों का 47.14 *प्रतिशत* (₹215.39 करोड़) राज्य सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम दीर्घावधि ऋणों, जबकि कुल दीर्घावधि ऋणों का 52.86 *प्रतिशत* (₹241.52 करोड़) अन्य वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त किया गया।

निवेश 2013-14 में ₹1,070.88 करोड़ से 39.32 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में ₹1,491.98 करोड़ हो गया। 2013-14 से 2017-18 के दौरान निवेश में वृद्धि इक्विटी तथा दीर्घावधि ऋणों में क्रमश: ₹186.28 करोड़ एवं ₹234.82 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का विनिवेश, पुन: संरचना तथा निजीकरण

4.5 वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार द्वारा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में विनिवेश, पुन:संरचना तथा निजीकरण नहीं किया गया।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) को बजटीय सहायता

4.6 हिमाचल प्रदेश सरकार, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वार्षिक बजट के माध्यम से विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता प्रदान करती है। मार्च 2018 को समाप्त अंतिम तीन वर्षों के लिए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में इक्विटी, ऋणों, अनुदानों/सब्सिडियों, ऋणों को बट्टे खाते में डालना तथा वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तित ऋणों पर बजटीय बहिर्गमन का सारांशित विवरण निम्नवत है:-

तालिका 4.3: वर्षों के दौरान राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) को प्राप्त बजटीय सहायता का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण[3]	2015-16		2016-17		2017-18	
	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	राशि
बहिर्गमित इक्विटी पूंजी (i)	5	43.29	3	46.5	2	50.80
दिए गए ऋण (ii)	1	11.04	1	13.06	1	5.44
प्रदत्त अनुदान/सब्सिडी (iii)	8	622.67	5	506.53	6	423.63
कुल बहिर्गमन (i+ii+iii)	–	677.00		566.09		479.87
बट्टे खाते में डाले गए ऋण पुर्नभुगतान	–	–	–	–	–	–
इक्विटी में परिवर्तित ऋण	–	–	–	–	–	–
जारी की गई गारंटियां	8	204.65	5	284.35	5	192.65
गारंटी प्रतिबद्धता	7	205.14	4	230.92	5	277.98

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

मार्च 2018 को समाप्त अंतिम पांच वर्षों के लिए इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों पर बजटीय बहिर्गमन सम्बंधित विवरण नीचे **ग्राफ** में दर्शाया गया है:

ग्राफ 4.1: इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों के प्रति बजटीय बहिर्गमन

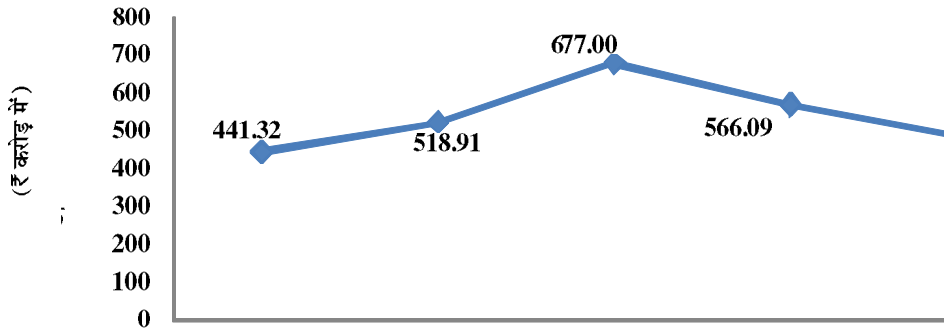

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मिली वार्षिक बजटीय सहायता ₹441.32 करोड़ तथा ₹677.00 करोड़ के मध्य थी। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹479.87 करोड़ की बजटीय सहायता दी गई जिसमें इक्विटी, ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडियों के रूप में क्रमश: ₹50.80 करोड़, ₹5.44 करोड़ तथा ₹423.63 करोड़ शामिल थे। राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सब्सिडी/अनुदान जनता को मुख्य रूप से यात्रा में छूट/मुफ्त यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए थी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से आर्थिक सहायता की प्राप्ति करने में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार गारंटी प्रदान करती है तथा शून्य *प्रतिशत* से एक *प्रतिशत* तक गारंटी शुल्क प्रभारित करती है। 2017-18 के दौरान सरकार ने पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को कुल ₹192.65 करोड़ के ऋणों की गारंटी दी। गारंटी प्रतिबद्धता 2016-17 में ₹230.92 करोड़ (पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) से बढ़कर 2017-18 में ₹277.98 करोड़ (पांच सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) हो गई एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम[4] ने 2017-18 के दौरान ₹0.01 करोड़ के गारंटी शुल्क का भुगतान किया।

[3] राशि सिर्फ राज्य बजट से बहिर्गमन को प्रस्तुत करती है।

[4] हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम सीमित।

हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों के साथ मिलान

4.7 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों में बकाया इक्विटी ऋणों तथा गारंटियों के आंकड़े हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में प्रस्तुत आंकड़ों से मिलने चाहिए। आंकड़ों के न मिलने की स्थिति में सम्बन्धित सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा वित्त विभाग को अंतरों का मिलान करना चाहिए। 31 मार्च 2018 तक इस संदर्भ की स्थिति नीचे दशाई गई है:

तालिका 4.4: हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के अभिलेखों के अनुसार बकाया इक्विटी, ऋण, गारंटियां

(₹ करोड़ में)

बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अभिलेखों के अनुसार राशि	अंतर
इक्विटी	77.29	151.91	74.62
ऋण	55.53	163.12	107.59
गारंटी	256.28	251.15	5.13

स्रोत: सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा वित्त लेखों से प्राप्त जानकारी के आधार पर संकलित।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 13 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐसे अंतर हुए जिन्हें ***परिशिष्ट 4.2*** में दर्शाया गया है। आंकड़ों के बीच के अंतर विगत कई वर्षों से हो रहे हैं। आंकड़ों के अंतरों के समाधान का मुद्दा समय-समय पर विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ भी उठाया गया है। हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम के शेष में महत्त्वपूर्ण अंतर पाया गया। अत: हम अनुशंसा करते हैं कि राज्य सरकार तथा सम्बंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अंतरों का समयबद्ध तरीके से समाधान करें।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखों की प्रस्तुति

4.8 राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 17 सरकारी कम्पनियों तथा दो सांविधिक निगमों समेत 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम 31 मार्च 2018 तक भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की परिधि में थे। राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के निर्माण में अनुपालित समय सीमाओं की अवस्था निम्न विवरणों के अंतर्गत है:

राज्य के क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के निर्माण में समयबद्धता

4.8.1 सभी क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 2017-18 के लिए लेखाओं को 30 सितम्बर 2018 तक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। यद्यपि 19 क्रियाशील सरकारी कम्पनियों में से एक सरकारी कम्पनी ने वर्ष 2017-18 हेतु 30 सितम्बर 2018 तक या उससे पहले भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के लिए उसके लेखाओं को प्रस्तुत किया जबकि 18 सरकारी कम्पनियों के लेखा बकाया (शेष) थे। दो सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (हिमाचल पथ परिवहन निगम) में भारत का नियंत्रक महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक था। इन दो सांविधिक निगमों में से एक सांविधिक निगम (हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम) का वर्ष 2017-18 का लेखा, लेखापरीक्षा के लिए समय पर प्रस्तुत किया गया। हिमाचल पथ परिवहन निगम के वर्ष 2017-18 के लेखे 30 सितम्बर 2018 तक प्रतीक्षित थे।

30 सितम्बर 2018 तक क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के प्रस्तुतिकरण हेतु बकाया लेखों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.5: राज्य के क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतिकरण से सम्बंधित स्थिति

क्र0सं0	विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त)	15	15	16	17	19
2.	चालू वर्ष के दौरान प्रस्तुत लेखाओं की संख्या	14	13	15	17	11
3.	क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिन्होंने चालू वर्ष के लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया	4	1	2	3	1
4.	चालू वर्ष के दौरान विगत वर्ष के अंतिम रूप दिए गए लेखाओं की संख्या	10	12	13	14	10
5.	बकाया लेखाओं सहित क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	11	14	14	13	18
6.	बकाया लेखाओं की संख्या	19	21	22	22	30
7.	बकाया की सीमा	एक से तीन साल	एक से तीन साल	एक से तीन साल	एक से तीन साल	एक से चार साल

स्रोत: अक्तूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के आधार पर संकलित।

राज्य के इन 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 01 अक्तूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान 11 वार्षिक लेखाओं को अंतिम रूप दिया, जिनमें वर्ष 2017-18 हेतु एक वार्षिक लेखा तथा विगत वर्षों हेतु दस वार्षिक लेखे शामिल थे। इसके अतिरिक्त, 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित 30 वार्षिक लेखे बकाया थे जिनका विवरण ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है। इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने तथा इन संस्थाओं की गतिविधियों पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी प्रशासनिक विभाग की होती है। सम्बंधित विभागों को लेखाओं में बकाया के सम्बन्ध में तिमाहीवार सूचना दी गई।

राज्य के 18 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 8 को, जिनके लेखाओं को निर्धारित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत 30 सितम्बर 2018 तक अंतिम रूप नहीं दिया गया था, हिमाचल प्रदेश सरकार ने ₹426.92 करोड़ (ऋण: ₹8.00 करोड़, सब्सिडी: ₹418.92 करोड़) प्रदान किए जबकि अवधि के दौरान बकाया लेखाओं वाले शेष 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कोई निवेश नहीं किया गया। वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार विवरण, जिनके लेखे बकाया है, ***परिशिष्ट 4.3*** में दर्शाया गया है। यद्यपि राज्य के इन क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से चार के चार[5] लेखाओं को 2015-16 से 2017-18 की अवधि के लिए अंतिम रूप दिया गया था तथा अक्तूबर 2018 से दिसम्बर 2018 की अवधि के दौरान लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किया गया जबकि राज्य के अठारह क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के 26 लेखे, जिनका विवरण ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है, दिसम्बर 2018 तक प्रतीक्षित थे।

चौदह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में लेखाओं पर अंतिम निर्णय न लेने तथा इसके फलस्वरूप लेखापरीशा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेशों एवं किए गए खर्चों का उचित हिसाब रखा गया तथा जिस प्रयोजन हेतु राशि का निवेश किया गया वह प्राप्त कर लिया गया। अत: इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार का निवेश राज्य विधायिका के नियंत्रण से बाहर रहा।

राज्य के निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं के निर्माण में समयबद्धता

4.8.2 दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखाओं को अंतिम रूप दिया जाना शेष था, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.6: *निष्क्रिय* सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सम्बन्ध में बकाया लेखाओं से सम्बंधित स्थिति

क्रमांक	निष्क्रिय कम्पनियों के नाम	अवधि, जिसके लिए लेखे बकाया थे
1.	हिमाचल वर्सेटेड मिल्स लिमिटेड	2001-02 से 2017-18
2.	एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड	2014-15 से 2017-18

स्रोत: अक्तूबर 2017 से सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के आधार पर संकलित।

इन दो निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल वर्सेटेड मिल्स लिमिटेड के लेखे 2000-01 से परिसमापन की प्रक्रिया में थे तथा इसके लेखों को उस अवधि तक अंतिम रूप दिया गया था। एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग लिमिटेड के वर्ष 2014-15 से 2017-18 के लेखे बकाया थे।

सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

4.9 दो क्रियाशील सांविधिक निगमों में से हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम ने 2017-18 के लेखाओं को 30 सितम्बर 2018 तक प्रस्तुत किया।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सांविधिक निगमों के लेखों पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन होते हैं। सम्बंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार ये प्रतिवेदन विधायिका के समक्ष रखे जाते हैं। सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं की अवस्था तथा विधायिका में इन पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के स्थानन का विवरण नीचे दिया गया है:

5 हिमाचल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन, हिमाचल प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम।

तालिका 4.7: सांविधिक निगमों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की स्थापना की अवस्था

निगमों के नाम	लेखाओं के वर्ष	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के स्थान का माह
हिमाचल पथ परिवहन निगम	2016-17	24.03.2018
हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम	2016-17	27.3.2018
	2017-18	अभी रखा जाना है

स्रोत: हिमाचल प्रदेश विधानसभा की वेबसाईट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर संकलित।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं को अंतिम रूप न देने का प्रभाव

4.10 जैसा कि परिच्छेद 4.8 में इंगित है लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब के कारण प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के अतिरिक्त जनता के धन की धोखाधड़ी अथवा गबन का जोखिम भी उठाना पड़ सकता है। बकाया लेखाओं की उक्त स्थिति को देखते हुए वर्ष 2017-18 हेतु राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की वास्तविक भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकी साथ ही राज्य के खजाने में उनकी भागीदारी भी राज्य विधायिका को सूचित नहीं की जा सकी।

अत: प्रशासनिक विभाग द्वारा सख्ती से निगरानी करने तथा बकाया लेखाओं के परिसमापन हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की अनुशंसा की जाती है। सरकार को भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं के निर्माण की कमियों पर ध्यान देना चाहिए तथा बकाया लेखाओं के परिसमापन हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का निष्पादन

4.11 30 सितम्बर 2018 तक राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र वे उपक्रम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त), उनके नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार वित्तीय स्थिति तथा कार्य परिणाम ***परिशिष्ट 4.4*** में विवेचित किए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार द्वारा किए गए उपक्रमों में निवेश पर उचित प्रतिफल की प्राप्ति अपेक्षित है। विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार तथा अन्य का कुल निवेश ₹1,035.07 करोड़ की इक्विटी व ₹456.91 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों को मिलाकर ₹1,491.98 करोड़ था। इसमें से ₹1,216.59 करोड़ का निवेश हिमाचल प्रदेश सरकार ने विद्युत क्षेत्र को छोड़कर 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में किया जिसमें ₹1,001.20 करोड़ की इक्विटी और ₹215.39 करोड़ के दीर्घावधि ऋण शामिल थे।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिमाचल प्रदेश सरकार के निवेश का वर्ष वार विवरण निम्नानुसार है:

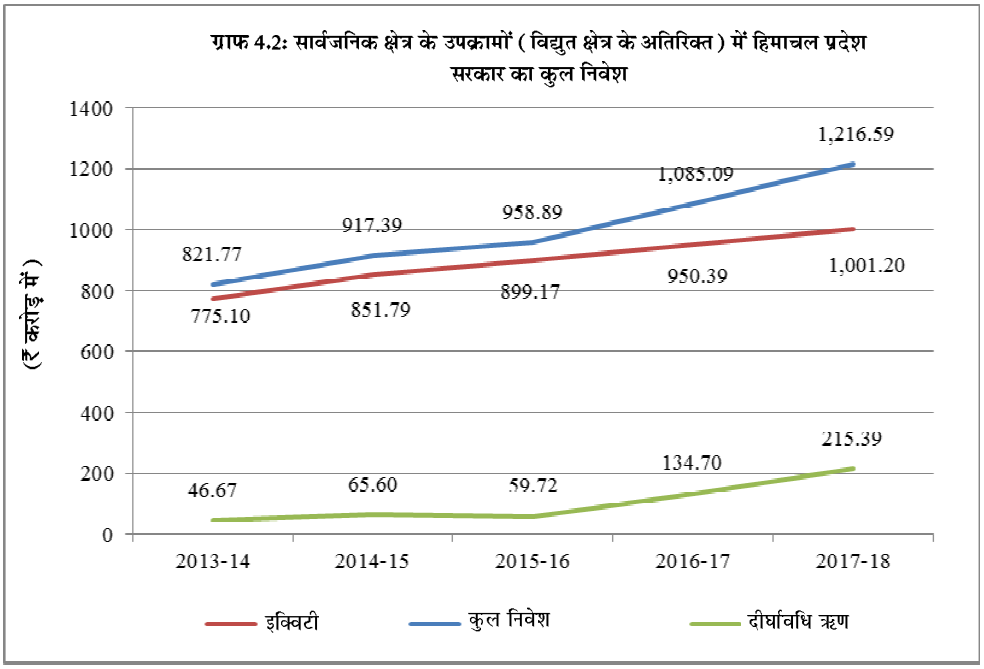

कम्पनी की लाभप्रदता का पारंपरिक मूल्यांकन निवेश के प्रतिफल एवं नियोजित पूंजी के प्रतिफल से किया जाता है। निवेश का प्रतिफल, तय वर्ष में निवेशित धन की राशि से सम्बंधित लाभ एवं हानि से मापा जाता है तथा यह सकल निवेश पर हुए निवल लाभ के *प्रतिशत* के रूप में व्यक्त किया जाता है। नियोजित पूंजी का प्रतिफल एक वित्तीय अनुपात है जो कम्पनी की लाभप्रदता एवं दक्षता, जिसके साथ इसकी पूंजी का प्रयोग किया जाता है, को मापता है।

निवेश पर प्रतिफल

4.12 निवेश पर प्रतिफल सकल निवेश पर लाभ अथवा हानि का *प्रतिशत* होता है। राज्य के 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में 2013-14 से 2017-18 के दौरान अर्जित/खर्च हुए लाभ/हानियों[6] की समग्र स्थिति निम्न **ग्राफ** में दर्शाई गई है:

ग्राफ 4.3: वर्ष के दौरान 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) द्वारा अर्जित/खर्च हुए लाभ/हानियां

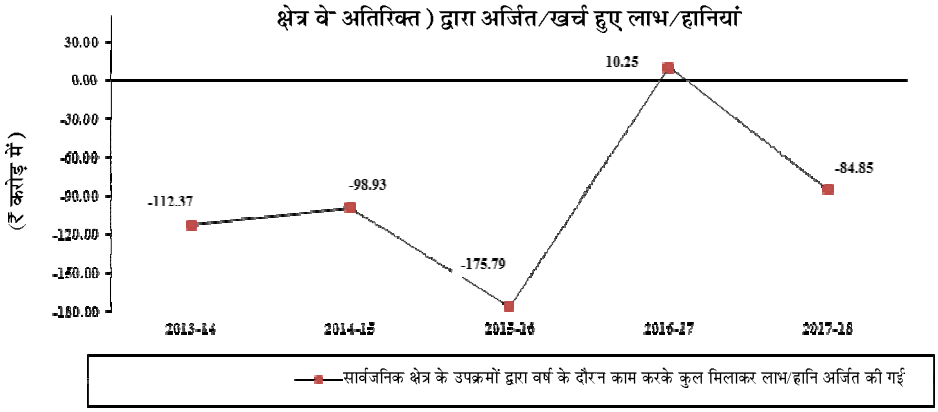

इन क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा 2013-14 में हुई ₹112.37 करोड़ की हानियां, 2017-18 में घटकर ₹84.85 करोड़ रह गई। राज्य के इन 19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार 10 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹24.03 करोड़ का लाभ अर्जित किया तथा छः

6 आंकड़े सम्बंधित वर्षों के नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार है।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹108.88 करोड़ की हानि हुई, दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने उनके प्रथम लाभ व हानि के लेखें नहीं बनाए तथा एक[7] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने न लाभ न हानि का लेखा तैयार किया। 2016-17 के दौरान हुआ लाभ इस तथ्य के कारण था कि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने वर्ष 2015-16 तथा 2017-18 में हानियों क्रमश: ₹172.70 करोड़ एवं ₹95.27 करोड़ के प्रति 2016-17 में ₹1.73 करोड़ का लाभ अर्जित किया था। जिसका विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है।

हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित (₹10.07 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम (₹6.72 करोड़) सर्वाधिक लाभ प्रदाता कम्पनियां थी जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹95.27 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (₹5.50 करोड़) भारी घाटे में रही।

19 क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से 31 मार्च 2018 तक 2013-14 से 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले/हानि उठाने वाले क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका 4.8: 2013-14 से 2017-18 के दौरान नवीनतम् अंतिम रूप दिए लेखों के अनुसार लाभ अर्जित/हानि उठाने वाले क्रियाशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण

वित्तीय वर्ष	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) की कुल संख्या	लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	हानि वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	अत्यल्प लाभ/हानि[8] अथवा कुछ भी अर्जित न करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या
2013-14	15	8	4	3
2014-15	15	6	8	1
2015-16	16	7	5	3
2016-17	17	11	3	2
2017-18	19	9	5	3

(क) निवेश की ऐतिहासिक लागत के आधार पर निवेश का प्रतिफल

4.13 राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) में से में राज्य सरकार ने मात्र 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में इक्विटी, दीर्घावधि ऋणों तथा अनुदानों/सब्सिडी के रूप में निधियां निवेशित की। सरकार ने ₹1,001.20 करोड़ की इक्विटी तथा ₹215.39 करोड़ के दीर्घावधि ऋणों सहित इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ₹1,216.59 करोड़ निवेशित किए। अनुदानों/सब्सिडिरों के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियों की गणना निवेश के रूप में नहीं की गई क्योंकि वे निवेश के रूप में माने जाने योग्य नहीं है। कुल दीर्घावधि ऋणों में से केवल ब्याज रहित ऋणों को ही निवेश के रूप में लिया गया। यद्यपि, उन मामलों में जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ब्याज रहित ऋणों को चुका दिया गया था, वहां ऐतिहासिक लागत पर आधारित निवेश के मूल्य तथा वर्तमान मूल्य की गणना अवधि में ब्याज रहित ऋणों के घटाए गए शेषों से की जाती है, जो कि **तालिका 4.9** में वर्णित है:

₹215.39 करोड़ के अवमुक्त दीर्घावधि ऋणों में से ₹53.95 करोड़ ब्याज रहित ऋण थे जो कि अवधि में ब्याज रहित ऋणों से घटाए गए शेषों पर आधारित थे। अत: इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार का कुल निवेश ₹1,055.15 करोड़ (₹1,001.20 करोड़ + ₹53.95 करोड़) था।

2013-14 से 2017-18 की अवधि के लिए निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित निवेश का प्रतिफल नीचे दर्शाया गया है:

---

[7] हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित।

[8] 2015-16 के दौरान हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने 2016-17 से 2017-18 के दौरान हिमाचल प्रदेश बेवरेज लिमिटेड ने तथा 2017-18 के दौरान धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने उनके प्रथम अंतिम रूप दिए लेखे तैयार नहीं किए थे।

तालिका 4.9: निवेश की ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

वर्ष	कुल अर्जन (₹ करोड़ में)	हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा ऐतिहासिक लागत पर आधारित इक्विटी एवं ब्याज रहित ऋणों के रूप में निवेश (₹ करोड़ में)	ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार का प्रतिफल (*प्रतिशत*)
2013-14	-112.37	836.45	-13.43
2014-15	-98.93	881.38	-11.22
2015-16	-175.79	939.19	-18.72
2016-17	10.21	996.32	1.02
2017-18	-84.08	1,055.15	-7.97

राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल राज्य सरकार के निवेशों की लागत से इन सार्वजनिक क्षेत्र के कुल अर्जन[9] को विभाजित करके निकाला जाता है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित प्रतिफल -18.72 *प्रतिशत* से 1.02 *प्रतिशत* के मध्य रहा। हिमाचल पथ परिवहन के घाटों में वृद्धि के कारण 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के निवेश का प्रतिफल का 2016-17 की अवधि के प्रतिफल की तुलना में घट गया।

(ख) निवेश के वर्तमान मूल्य के आधार पर निवेश का प्रतिफल

4.14 इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लाभप्रदता के आकलन हेतु उन राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) जहां राज्य सरकार द्वारा निधियां प्रवाहित की गई थी, के सन्दर्भ में निवेश की तुलना में अर्जन का विश्लेषण किया गया। प्रतिफल की पारंपरिक गणना निवेश की केवल ऐतिहासिक लागत पर आधारित होने से निवेश पर प्रतिफल की पर्याप्तता को भली प्रकार से सूचित नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी गणनाएं धन के वर्तमान मूल्य को उपेक्षित कर देती है। इसलिए विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त शेष 18 कम्पनियों में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित निधियों पर ऐतिहासिक लागत पर आधारित प्रतिफल की गणना के अतिरिक्त निवेश के प्रतिफल की गणना धन के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए की गई। इन कम्पनियों की स्थापना के बाद से 31 मार्च 2018 तक, जहां राज्य सरकार द्वारा इक्विटी तथा ब्याज रहित ऋण के रूप में निधियां प्रवाहित की गई, वहां राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य का परिकलन किया गया। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान वर्ष 2016-17 में इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने निवेश पर धनात्मक प्रतिफल दिया। अत: इस वर्ष हेतु निवेश पर प्रतिफल की गणना वर्तमान मूल्य के आधार पर की गई तथा दर्शाई गई।

इन उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य की गणना (परिकलन) निम्नलिखित मान्यताओं पर की गई:

- ब्याज रहित ऋणों को राज्य सरकार द्वारा प्रवाहित निधि के रूप में माना जाता है। यद्यपि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ऋणों के पुनर्भुगतान की स्थिति में वर्तमान मूल्य की गणना अवधि में ब्याज रहित ऋणों के कम किए गए शेषों पर की जाती है। अनुदान/सब्सिडी के रूप में उपलब्ध कराई गई निधियां निवेश के रूप में नहीं मानी जाती क्योंकि ये **परिच्छेद 4.13** में संकेतित सब्सिडी की प्रकृति के अनुसार निवेश के रूप में माने जाने योग्य नहीं हैं।

- वर्तमान मूल्य पर पहुंचने के लिए सम्बंधित वित्तीय वर्ष[10] हेतु सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को छूट की दर के रूप में अपनाया गया क्योंकि यह वर्ष के लिए सरकार द्वारा निवेशित निधियों के प्रति खर्च हुई लागत को प्रस्तुत करता है।

---

[9] इसमें राज्य सरकार द्वारा निवेश किए गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में सम्बंधित वर्ष हेतु निवल लाभ/हानियां सम्मिलित है

[10] सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर को सम्बंधित वर्ष हेतु राज्य के वित्तों (हिमाचल प्रदेश सरकार) पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों से अपनाया गया था जिसमें भुगतान किए गए ब्याज के लिए औसत दर हेतु गणना = ब्याज भुगतान/ [(गत वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2] *100

2015-16 तथा 2017-18 में इन 21 कम्पनियों में जब घाटे हुए, तब हानियों के कारण हुआ नेटवर्थ का क्षरण निष्पादन का अधिक उपयुक्त माप है। कम्पनी की नेटवर्थ क्षरण पर **परिच्छेद 4.17** में टिप्पणी की गई है।

4.15 2000-01 से 2017-18 की अवधि के लिए राज्य के इन 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में ऐतिहासिक लागत पर आधारित इक्विटी तथा ऋणों के रूप में राज्य सरकार के निवेश की स्थिति ***परिशिष्ट 4.5*** में दर्शाई गई है। इसके अतिरिक्त इसी अवधि हेतु इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में राज्य सरकार के निवेश के निवल वर्तमान मूल्य की समेकित स्थिति निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 4.10: 2000-01 से 2017-18 की अवधि हेतु राज्य सरकार द्वारा निवेश तथा सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष के आरम्भ में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा प्रवाहित इक्विटी	वर्ष[11] के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज रहित ऋण	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश	सरकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (*प्रतिशत में*)	वर्ष की समाप्ति पर कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष हेतु निधियों की लागत वसूल करने के लिए साध्यावित न्यूनतम प्रतिफल	वर्ष[12] हेतु कुल अर्जन
	i	**ii**	**iii**	**iv=ii+iii**	**v**	**vi=iv (1+v/100)**	**vii=iv*v/100**	**viii**
1999-2000 तक	-	300.03	0.49	300.52	8.83	327.06	26.54	-
2000-01	327.06	32.48	1.51	361.05	10.15	397.69	36.65	-49.50
2001-02	397.69	13.01	-	410.70	11.06	456.13	45.42	-36.70
2002-03	456.13	12.43	-	468.56	10.37	517.14	48.59	-29.19
2003-04	517.14	28.60	-	545.74	10.98	605.67	59.92	-31.10
2004-05	605.67	16.06	-	621.73	10.60	687.63	65.90	43.44
2005-06	687.63	13.99	0.15	701.77	9.20	766.33	64.56	-30.72
2006-07	766.33	14.27	-	780.60	9.40	853.98	73.38	-62.08
2007-08	853.98	37.82	2.25	894.05	9.09	975.32	81.27	-46.66
2008-09	975.32	54.46	-0.10	1,029.68	9.19	1,124.31	94.63	-33.88
2009-10	1,124.31	117.16	-	1,241.47	8.59	1,348.11	106.64	-55.92
2010-11	1,348.11	34.61	-	1,382.72	7.78	1,490.29	107.58	-38.15
2011-12	1,490.29	26.94	9.50	1,526.73	7.80	1,645.82	119.09	-72.06
2012-13	1,645.82	45.76	5.00	1,696.58	8.08	1,833.66	137.08	-88.46
2013-14	1,833.66	67.49	2.54	1,903.69	7.71	2,050.47	146.77	-112.41
2014-15	2,050.47	44.93	-	2,095.40	7.91	2,261.14	165.75	-98.97
2015-16	2,261.14	43.27	14.54	2,318.95	7.95	2,503.31	184.36	-175.83
2016-17	2,503.31	47.06	10.07	2,560.44	7.60	2,755.04	194.59	10.21
2017-18	2,755.04	50.83	8.00	2,813.87	7.71	3,030.81	216.95	-84.08
योग		1,001.20	53.95					

2000-01 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य सरकार के इक्विटी (₹701.15 करोड़) तथा ब्याज रहित ऋणों (₹53.46 करोड़) के रूप में आगामी निवेशों के कारण से इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राज्य सरकार के निवेश का शेष 1999-2000 में ₹300.52 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में वर्ष के अंत तक ₹1,055.15 करोड़[13] हो गया। 31 मार्च 2018 तक राज्य सरकार द्वारा प्रवाहित निधियों का वर्तमान मूल्य ₹3,030.81 करोड़ था। इन कम्पनियों से सम्बन्धित वर्ष का कुल अर्जन 2000-01 से 2015-16 तथा 2017-18 के दौरान ऋणात्मक ही रहा जो दर्शाता है कि निवेशित निधियों पर प्रतिफल उत्पन करने के बजाय ये कम्पनियां

[11] इस कॉलम में दर्शाए गए ब्याज रहित ऋणों के नकारात्मक आंकड़े सम्बंधित वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा राज्य सरकार को ऋणों के पुनर्भुगतान को प्रस्तुत करते हैं।

[12] उन 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के सम्बन्ध में जहां राज्य सरकार ने निधियां निवेशित की है, सम्बन्धित वर्ष का कुल अर्जन उस वर्ष हेतु कुल निवल अर्जन (लाभ/हानि) से दर्शाया जाता है। किसी वर्ष के दौरान यदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के वार्षिक लेखे बकाया हैं तो उस वर्ष हेतु निवल अर्जन नवीनतम लेखापरीक्षा लेखों के अनुसार लिया जाता है।

[13] ₹1,001.38 करोड़+₹53.95 करोड़ = ₹1,055.32 करोड़।

निधियों की लागत भी वसूल नहीं पाई। इसके अतिरिक्त वर्ष 2016-17 का कुल धनात्मक अर्जन भी विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त इन कम्पनियों में किए गए निवेश के प्रति अपेक्षित न्यूनतम प्रतिफल से भी काफी कम रहा।

4.16 जैसा कि वर्ष 2016-17 के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सरकार को निवेश पर धनात्मक प्रतिफल मिला, इस वर्ष के लिए ऐतिहासिक लागत पर तथा वर्तमान मूल्य पर राज्य सरकार की निधियों के प्रतिफलों का क्षेत्रवार तुलनात्मक अध्ययन नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.11: राज्य सरकार की निधियों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्षेत्रवार विवरण	कुल अर्जन	ऐतिहासिक लागत पर इक्विटी व ब्याज रहित ऋणों के रूप में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निवेशित निधियां	ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल (*प्रतिशत*)	वर्ष के अंत तक राज्य सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य	निवेशों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के निवेश पर प्रतिफल (*प्रतिशत*)
1	2	3	4 = 2/3 X100	5	6
2016-17					
कृषि एवं संबद्ध	-6.06	120.44	-5.03	335.76	-1.81
वित्तपोषित	9.79	127.23	7.69	317.88	3.08
अवसंरचना	-5.29	55.82	-9.48	252.37	-2.10
उत्पादन	5.47	7.04	77.56	29.49	18.51
सेवा	6.3	685.79	0.92	1,819.54	0.35
कुल	10.21	996.32	1.02	2,755.04	0.37

2016-17 में ऐतिहासिक लागत पर आधारित राज्य सरकार के निवेश पर अर्जित प्रतिफल 1.02 *प्रतिशत* था जबकि इसी वर्ष के दौरान निवेशों के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की निधियों पर अर्जित प्रतिफल 0.37 *प्रतिशत* था।

नेट वर्थ (निवल मूल्य) का क्षरण

4.17 नेट वर्थ का अर्थ है प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त भण्डार तथा अधिशेष के कुल योग में से संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय को घटाने पर प्राप्त शेष (प्रदत्त पूंजी + मुक्त भण्डार + अधिशेष - संचित हानियां + आस्थगित राजस्व व्यय)। दरअसल यह मालिकों के लिए उसकी संस्था के मूल्य का माप है। एक ऋणात्मक नेट वर्थ दर्शाता है कि मालिकों का सम्पूर्ण निवेश संचित हानियों एवं आस्थगित राजस्व व्यय के द्वारा नष्ट कर दिया गया। नवीनतम अंतिम रूप दिए गए लेखाओं के अनुसार इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के पूंजीगत निवेश एवं संचित घाटे क्रमश: ₹977.54 करोड़ तथा ₹1,448.97 करोड़ थे जिसका परिणाम ₹ -471.43 करोड़ के नेट वर्थ में हुआ जो कि ***परिशिष्ट 4.4*** में विवेचित है। विगत तीन वर्षों से राज्य सरकार द्वारा अनुदानों एवं सब्सीडियों के रूप में दी गई ₹1,552.83 करोड़ की वित्तीय सहायता के बावजूद सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के नेट वर्थ में सुधार नहीं हुआ। निवेश तथा संचित घाटों के विश्लेषण से खुलासा हुआ कि इन 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से नौ में नेट वर्थ पूरी तरह से घट गया था क्योंकि इन नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पूंजीगत निवेश एवं संचित घाटे क्रमश: ₹879.58 करोड़ व ₹1,556.38 करोड़ थे। इन नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से नेट वर्थ का सर्वाधिक क्षरण हिमाचल पथ परिवहन निगम (₹1,113.91 करोड़), हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम (₹166.56 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित (₹83.20 करोड़) तथा एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड (₹78.23 करोड़) में हुआ। इन नौ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से जहां नेटवर्थ पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, तीन[14] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने वर्ष 2017-18 के दौरान लाभ अर्जित किया तथापि, इनमें पर्याप्त संचित घाटे थे।

राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष निवेश की गई ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 18 कम्पनियों की कुल भुगतान की गई पूंजी, कुल संचित लाभ/हानि तथा कुल निवल मूल्य को निम्न तालिका दर्शाती है:

[14] 2015-16 हेतु हिमाचल प्रदेश एग्रो इडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड 2015-16 हेतु हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित तथा 2000-01 हेतु हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड।

तालिका 4.12: 2013-14 से 2017-18 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नेटवर्थ

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के अंत तक भुगतान की गई पूंजी	वर्ष के अंत तक संचित लाभ (+) हानि (-)	आस्थगित राजस्व व्यय	नेटवर्थ
2013-14	803.85	-1,089.18	-	-285.33
2014-15	844.63	-1,190.75	-	-346.12
2015-16	885.87	-1,366.15	-	-480.28
2016-17	930.74	-1,187.79	-	-257.05
2017-18	976.47	-1,445.90	-	-469.43

यह देखा जा सकता है कि अवधि के दौरान इन कम्पनियों के नेट वर्थ में उतार-चढ़ाव हुआ। यह 2013-14 में ₹ -285.33 करोड़ से घटकर 2017-18 में ₹ -469.43 करोड़ रह गया। 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से 9 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[15] ने 2013-14 से 2017-18 के दौरान धनात्मक नेट वर्थ दर्शाया तथा आठ[16] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निवल मूल्य नकारात्मक था। एक[17] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने उसका पहला वार्षिक लेखा नहीं बनाया है।

लाभांश भुगतान

4.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति तैयार की थी (अप्रैल 2011) जिसके अंतर्गत समस्त लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (जो कल्याण एवं उपयोगिता क्षेत्र में हैं, को छोड़कर) से राज्य सरकार द्वारा अंशदत्त प्रदत्त पूंजी पर पांच *प्रतिशत* न्यूनतम प्रतिफल का भुगतान अपेक्षित है जो कर के उपरांत लाभ के 50 *प्रतिशत* की अधिकतम सीमा तक हो सकता है। नवीनतम अंतिम रूप प्राप्त किए लेखाओं के अनुसार सात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ₹21.22 करोड़ का कुल लाभ अर्जित किया जिसमें से मात्र दो[18] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने 2016-17 के दौरान ₹1.89 करोड़ का लाभांश घोषित/भुगतान किया। शेष पांच लाभ अर्जित करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने राज्य सरकार को किसी लाभांश का भुगतान नहीं किया।

इक्विटी पर प्रतिफल

4.19 इक्विटी पर प्रतिफल वित्तीय निष्पादन का एक माप है जो यह निर्धारित करता है कि प्रबंधन कितनी दक्षता से शेयरधारकों की निधियों का उपयोग, लाभ सृजित करने के लिए, कर रहा है तथा शेयर धारकों की निधि से शुद्ध आय (अर्थात करों के पश्चात् शुद्ध लाभ) को विभाजित करके (भाग देकर) इसकी गणना की जाती है। इसे *प्रतिशत* के रूप में दर्शाया जाता है तथा किसी भी कम्पनी की यदि शुद्ध आय तथा शेयर धारकों की निधि, दोनो ही धनात्मक संख्या हो तब इसकी गणना की जा सकती है।

कम्पनी के शेयर धारकों की निधि की गणना प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त भण्डार, कुल संचित हानियां एवं आस्थगित राजस्व व्यय को जोड़ कर की जाती है तथा यह प्रकट करती है कि यदि सभी परिसम्पत्तियां बेच दी जाए और सभी ऋणों का भुगतान कर दिया जाए तब स्टेकहोल्डर (हितधारकों) के लिए कितनी राशि बचेगी। धनात्मक शेयरधारक निधि यह प्रकट करती है कि कम्पनी अपनी देयताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त परिसम्पत्तियां रखती हैं जबकि ऋणात्मक शेयरधारक इक्विटी से तात्पर्य है कि देयताएं परिसम्पत्तियों से अधिक है।

विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों के अतिरिक्त अन्य 18 उपक्रमों के संदर्भ में जहां राज्य सरकार द्वारा निधियां प्रवाहित की गई थी, इक्विटी पर प्रतिफल की गणना की गई है। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र

---

15 हिमाचल पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश महिला विकास निगम, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित, हिमाचल राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य सिविल आपूर्ति निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम।

16 हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश हस्तकला एवं हथकरघा निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश वित्त निगम, हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग लिमिटेड।

17 हिमाचल प्रदेश बैवरेज लिमिटेड।

18 हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम तथा हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित।

के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बन्धित शेयरधारकों की निधि एवं इक्विटी पर प्रतिफल का विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:

तालिका 4.13: 18 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के सम्बन्ध में, इक्विटी पर प्रतिफल जहां हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निधियां प्रवाहित की गई थी,

वर्ष	निवल आय	शेयरधारकों की निधि	इक्विटी पर प्रतिफल
	₹ करोड़ में		%
2013-14	-112.41	-285.33	-
2014-15	-98.97	-346.12	-
2015-16	-175.83	-480.28	-
2016-17	10.21	-257.05	-
2017-18	-84.08	-469.43	-

मार्च 2018 को समाप्त गत पांच वर्षों की अवधि के दौरान 2013-14 से 2015-16 तथा 2017-18 के दौरान निवल आय ऋणात्मक थी तथा केवल 2016-17 के दौरान निवल आय धनात्मक थी। जब तक इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की निवल आय एवं शेयरधारकों की निधि ऋणात्मक थी, इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में इक्विटी पर प्रतिफल की गणना नहीं की जा सकी। तथापि, ऋणात्मक शेयरधारकों की निधि दर्शाती है कि इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की देयताएं परिसम्पत्तियों से अधिक है।

नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

4.20 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल वह अनुपात है जो कम्पनी की लाभ प्रदता तथा इसकी पूंजी के नियोजन की दक्षता से मापा जाता है। नियोजित पूंजी पर प्रतिफल[19] की गणना नियोजित पूंजी द्वारा ब्याज व करों के पूर्व कम्पनी के अर्जित लाभांश से की जाती है। 2013-14 से 2017-18 अवधि के दौरान राज्य के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) का नियोजित पूंजी पर कुल प्रतिफल का विवरण नीचे तलिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.14: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ब्याज व करों के पूर्व अर्जित लाभ (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (%)
2013-14	-83.01	120.46	-68.91
2014-15	-99.33	259.42	-38.29
2015-16	-177.91	-58.56	लागू नहीं
2016-17	23.87	226.04	10.56
2017-18	-69.77	20.87	-334.31

2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नियोजित पूंजी पर प्रतिफल -334.31 *प्रतिशत* तथा 10.56 *प्रतिशत* के बीच रहा। 2016-17 की अपेक्षा वर्ष 2017-18 के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिफल काफी हद तक घट गया और हिमाचल पथ परिवहन निगम के वर्ष 2017-18 के दौरान हुए घाटे की वृद्धि के कारण ऋणात्मक प्रतिफल में परिवर्तित हो गया।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के दीर्घावधि ऋणों का विश्लेषण

4.21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के दीर्घावधि ऋणों, जो कि 2013-14 से 2017-18 के दौरान प्रभावन क्षमता रखते थे, कम्पनियों द्वारा सरकार, बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को ऋण चुकाने की क्षमता के आकलन का विश्लेषण किया गया था। यह आकलन ब्याज कवरेज अनुपात तथा ऋण टर्नओवर अनुपात के माध्यम से किया जाता है।

[19] नियोजित पूंजी = प्राप्त पूंजी का अंश + फ्री रिजर्व व अधिशेष +दीर्घावधि ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय। आंकड़ें नवीनतम वर्ष के अनुसार है, जिसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लेखाओं को अंतम रूप दिया गया है।

ब्याज कवरेज अनुपात

4.22 ब्याज कवरेज अनुपात का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बकाया ऋण पर ब्याज भुगतान क्षमता के निर्धारण के लिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के उसी अवधि के ब्याज खर्चों से, ब्याज व करों के पूर्व अर्जित लाभांश को विभाजित करके इसकी गणना की जाती है। यह अनुपात जितना कम होगा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की ऋण पर ब्याज भुगतान की क्षमता उतनी ही कमतर होगी। ब्याज कवरेज अनुपात का एक से नीचे होना दर्शाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने ब्याज के खर्चों को पूरा करने हेतु पर्याप्त राजस्व का उत्पादन नहीं कर रहे। 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान धनात्मक तथा ऋणात्मक ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण नीचे तालिका में दिए गए हैं:

तालिका 4.15: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज	ब्याज व करों के पूर्व अर्जित	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिन पर सरकार, बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण की देयता है	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से अधिक है	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या जिनका ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम है
	(₹ करोड़ में)		संख्या में		
2013-14	19.26	-83.01	11	-	11
2014-15	18.45	-99.33	11	-	11
2015-16	40.35	-177.91	10	-	10
2016-17	36.00	23.87	12	-	12
2017-18	35.05	-69.77	12	-	12

राज्य के 12 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) पर 2017-18 के दौरान सरकार के साथ-साथ बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों की देयता होने के अतिरिक्त सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का ब्याज कवरेज अनुपात एक से कम था जो कि अपने ब्याज के खर्चों को पूरा करने योग्य पर्याप्त राजस्व का उत्पादन नहीं कर सके।

ऋण टर्नओवर अनुपात

4.23 विगत पांच वर्षों के दौरान इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में 7.43 *प्रतिशत* की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई तथा ऋण की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 4.66 *प्रतिशत* थी जिसके कारण ऋण टर्नओवर अनुपात 2013-14 में 0.19 से 2017-18 में घटकर 0.17 रह गया जैसा कि नीचे तालिका में दर्शाया गया है:

तालिका 4.16: राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के सम्बंध में ऋण टर्नओवर अनुपात

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सरकार तथा अन्य (बैंक व वित्तीय सस्थांए) से ऋण	410.31	407.23	426.84	395.84	492.30
टर्नओवर	2,122.23	2,305.90	2,471.95	2,743.10	2,826.45
ऋण टर्नओवर अनुपात	0.19:1	0.18:1	0.17:1	0.14:1	0.17:1

स्रोत: *परिशिष्ट 4.4* के आधार पर संकलित।

इस अवधि के दौरान ऋण टर्नओवर अनुपात 0.19 तथा 0.17 के मध्य था। वर्ष 2016-17 की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान सकल संचित घाटों में पर्याप्त वृद्धि हुई जिसका मुख्य कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम के संचित घाटों का बढ़ना था।

राज्य के निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का बंद होना

4.24 राज्य के 21 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में से दो निष्क्रिय कम्पनियों का 31 मार्च 2018 तक पूंजीगत (₹18.64 करोड़) तथा दीर्घावधि ऋणों (₹60.15 करोड़) में ₹78.79 करोड़ का कुल निवेश था (एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग लिमिटेड में ₹77.87 करोड़ तथा हिमाचल वर्सेटेड मिल्स लिमिटेड में ₹0.92 करोड़)। 31 मार्च 2018 की समाप्ति से विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या नीचे दी गई है:

तालिका 4.17: राज्य के निष्क्रिय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
निष्क्रिय कम्पनियों की संख्या	2	2	2	2	2

स्रोत: सम्बंधित वर्षों के हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) में सम्मलित जानकारी से संकलित।

हिमाचल वर्सटेड मिल्स लिमिटेड 2000-01 से परिसमापन प्रक्रिया के अधीन थी जबकि हिमाचल प्रदेश एग्रो इडस्ट्रीयल पैकेजिंग इण्डिया लिमिटेड के सम्बंध में परिसमापन प्रक्रिया अभी प्रारंभ की जानी है। सरकार इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में उचित निर्णय ले सकती है।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखाओं पर टिप्पणियां

4.25 ग्यारह क्रियाशील कम्पनियों ने 01 अक्तूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 की अवधि के दौरान महालेखाकार को 11 लेखापरीक्षित लेखे अग्रेषित किए। सभी लेखाओं का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए किया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा संचालित अनुपूरक लेखापरीक्षा से इंगित हुआ कि लेखाओं की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्यों का विवरण निम्नवत् है:

तालिका 4.18: क्रियाशील कम्पनियों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	5	4.99	6	1.72	5	5.29
2.	लाभ में वृद्धि	2	0.66	1	0.09	1	0.28
3.	हानि में वृद्धि	2	6.34	1	0.06	2	0.66
4.	हानि में कमी	2	1.29	2	0.70	-	-
5.	भौतिक तथ्यों का गैर प्रकटीकरण	2	3.93	-	-		
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	2	0.34	-	-	-	-

स्रोत: सांविधिक निगमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक/सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों से संकलित।

वर्ष 2017-18 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने आठ लेखाओं को अर्हक (क्वालीफाईड) प्रमाण पत्र तथा दो लेखाओं को एडवर्स प्रमाण पत्र जारी किए। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लेखा मानकों की अनुपालना खराब ही रही क्योंकि सांविधिक लेखापरीक्षकों ने तीन लेखाओं में लेखा मानकों की गैर-अनुपालना के पांच उदाहरणों का उल्लेख किया।

4.26 राज्य में दो सांविधिक निगम अर्थात (i) हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा (ii) हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के सम्बंध में नियंत्रक महालेखापरीक्षक एकमात्र लेखापरीक्षक है।

इन दो क्रियाशील सांविधिक निगमों में से एक निगम (हिमाचल प्रदेश वित्त निगम) ने वर्ष 2017-18 के लिए अपने वार्षिक लेखे अग्रेषित किए जबकि हिमाचल पथ परिवहन निगम ने वर्ष 2016-17 के लिए अपने वार्षिक लेखे 01 अक्तूबर 2017 से 30 सितम्बर 2018 के दौरान अग्रेषित किए। दोनों ही लेखाओं का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु कर लिया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों ने हिमाचल प्रदेश वित्त निगम के वर्ष 2017-18 हेतु वार्षिक लेखों को सीमित प्रमाण पत्र प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, हिमाचल पथ परिवहन निगम के मामलें में नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने 2016-17 के लेखाओं पर 'सत्य तथा निष्पक्ष' प्रमाण पत्र प्रदान किया।

सांविधिक निगमों के संदर्भ में सांविधिक लेखापरीक्षकों की तथा नियंत्रक महालेखापरीखक के अनुपूरक लेखापरीक्षा की टिप्पणियों के कुल मुद्रा मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 4.19: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2015-16		2016-17		2017-18	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	–	–	1	2.50	–	–
2.	लाभ में वृद्धि	–	–	–	–	–	–
3.	हानि में वृद्धि	1	49.19	–	–	1	34.90
4.	हानि में कमी	1	0.04	1	0.47	1	0.36
5.	सामग्री तथ्यों का गैर-प्रकटीकरण	1	0.57	–	–	–	–
6.	वर्गीकरण की त्रुटियां	–	–	–	–	–	–

स्रोत: सांविधिक निगमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखापरीक्षक/सांविधिक लेखापरीक्षकों की टिप्पणियों से संकलित।

अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद

4.27 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम, हिमाचल प्रदेश वित्त निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तकला एवं हथकरघा निगम सीमित, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम सीमित, हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम से सम्बंधित सात अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए सम्बंधित प्रशासनिक विभागों के प्रधान सचिव/सचिवों को प्रत्युत्तर की प्रस्तुति के अनुरोध के साथ जारी किए गए थे। किसी भी अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद का उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ था। इन अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों का कुल वित्तीय प्रभाव ₹56.22 करोड़ था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई

बकाया उत्तर

4.28 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा का उत्पाद है। अत: यह आवश्यक है कि वे कार्यकारी अधिकारी से उचित तथा समयबद्ध प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार ने समस्त प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधान सभा में प्रस्तुत करने के तीन माह की अवधि के भीतर उनमें सम्मिलित परिच्छेद/समीक्षाओं पर उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां निर्धारित प्रारूप में लोक उपक्रम समिति से किसी प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना जमा करवाने के निर्देश जारी किए थे।

तालिका 4.20: विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संदर्भ में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति (30 सितम्बर 2018 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)	राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में गैर-विद्युत क्षेत्र से सम्बंधित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं परिच्छेद		निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी	
		निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षा	परिच्छेद
2016-17	05.04.2018	-	4	-	3

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बंधित विभागों से प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों के आधार पर संकलित।

दो विभागों के तीन[20] अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां सितम्बर 2018 तक लम्बित थी। यद्यपि, एक विभाग से एक अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां अक्तूबर 2018 में प्राप्त हुई थी।

लोक उपक्रम समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की चर्चा

4.29 30 सितम्बर 2018 तक निष्पादन लेखापरीक्षाओं तथा परिच्छेदों, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए तथा जिन पर लोक उपक्रम समिति द्वारा चर्चा की गई, की अवस्था नीचे दी गई है:

तालिका 4.21: सितम्बर 2018 तक निष्पादन लेखापरीक्षाएं/परिच्छेद जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित हुए हैं और जिन पर चर्चा की गई

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/परिच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित		परिच्छेद जिन पर चर्चा की गई	
	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद	निष्पादन लेखापरीक्षाएं	परिच्छेद
2010-11	-	6	-	6
2011-12	-	8	-	8
2012-13	-	7	-	7
2013-14	-	5	-	2
2014-15	1	3	0	2
2015-16	1	2	0	0
2016-17	-	4	-	0

स्रोत: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लोक उपक्रम समिति की परिचर्चा के आधार पर संकलित।

2012-13 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) पर परिचर्चा पूर्ण कर ली गई थी।

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

4.30 मार्च 2017 तथा फरवरी 2018 के मध्य राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किए गए लोक उपक्रम समिति के चार प्रतिवेदनों पर एक्शन टेकन नोट्स (कार्रवाई लेने सम्बंधी टिप्पणियां) जो कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (विद्युत क्षेत्र के अतिरिक्त) से सम्बंधित थे, प्राप्त नहीं हुए (30 सितम्बर 2018) थे जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

[20] हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अवसंरचना विकास निगम सीमित (01) तथा हिमाचल पर्यटन एवं विकास निगम सीमित (02) से सम्बंधित तीन अनुपालना लेखापरीक्षा परिच्छेद।

तालिका 4.22: लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की अनुपालना

लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदन का वर्ष	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	लोक उपक्रम समिति के प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों की कुल संख्या	सिफारिशों की संख्या जहां एक्शन टेकन नोट्स प्राप्त नहीं हुए
2014-15	4	23	14
2015-16	4	10	6
2016-17	4	8	8
2017-18	5	31	26

स्रोत: हिमाचल प्रदेश सरकार के सम्बंधित विभागों से लोक उपक्रम समिति की सिफारिशें पर प्राप्त एक्शन टेकन नोट्स के आधार पर संकलित।

ऊपर दर्शाई गई लोक उपक्रम समिति की सिफारिशों के संदर्भ में एक्शन टेकन नोटस मार्च 2018 तक प्राप्त नहीं हुए थे।